न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 27 / 2013 / 225 आरटीए

1. जतनसिंह पुत्र भादरसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. जसवंतसिंह पुत्र भादरसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. लक्ष्मणसिंह पुत्र भादरसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. रमेशसिंह पुत्र भादरसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. शेरसिंह पुत्र भादरसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. सुमेरसिंह पुत्र भादरसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्टस

–: बनाम :–

1. श्यामसुन्दर पुत्र ओमप्रकाश जाति मोदी निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. रोशनअली पुत्र हकीमखां जाति कलाल निवासी 27 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. उपपंजीयक नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 11.03.2013 न्यायालय उपखण्डाधिकारी नोहऱ
प्रकरण संख्या 07 / 2013 अनवानी जतनसिंह आदि बनाम श्यामसुन्दर आदि

श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता अपीलाण्टस

श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

निर्णय दिनांक –20.06.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 आरटीए प्रस्तुत कर इसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया कि वादग्रस्त वादीगण प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है जिसमे काश्त की सुविधा के अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादग्रस्त भूमि पर जबरदस्ती पक्के निर्माण कर फैक्ट्री लगाकर काबिज होने की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कार्यवाही नही करने एवं विवादित भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखने का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये दिनांक 23.01.2013 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त करते हुए गैरसायल को पाबंद किया गया कि विवादित भूमि रोही मौजा चक राजासर के खसरा नं. 144/301 की 2.5920 है, मे अपने हिस्सा को ताफैसला दावा बैय नही करे, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जवाब पेश होने पर पत्रावली मे मौका रिपोर्ट ली गई जिससे स्पष्ट होता है कि सीमेंट लुक बजरी आदि को मिलाने के लिए फैक्ट्री लगाई जा रही है मौके पर सामान लाया जा रहा है, कानूनी स्थिति स्पष्ट है कि कृषि भूमि को अकृषि कार्य के उपयोग मे लिया जा रहा है जबकि बिना भूमि किस्म परिर्वतन करवाये कृषि भूमि को अकृषि कार्य के उपयोग मे नही लिया जा सकता है उसके बावजूद भी सायलान अपीलांटस को नुकसान पहुंचाने के उदेश्य से विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है जो चलने योग्य नही है। प्रस्तुत दस्तावेजो एवं गैरसायलान के कथनो से साबित होता है कि कृषि भूमि को अकृषि कार्य के उपयोग मे लिया जा रहा है जो कानून की स्पष्ट अवहेलना है। एक तरफ शहरी सीमा से लगती कृषि भूमि पर बसी कालोनियों मे आगे किसी प्रकार का निर्माण नही करने एवं कुर्क कर रिसीवर नियुक्त किया जा रहा है दूसरी तरफ शहरी सीमा से लगती कृषि भूमि व्यवसायिक कार्य हेतु निर्माण किया जा रहा है उस पर रोक नही लगाई जा रही है जो कि सरासर अन्याय है। प्रार्थना पत्र दफा 212 आरटीए के तीनो बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं आर्थित क्षति सायलान अपीलांटस के पक्ष मे साबित होते है उसके बावजूद भी विचारण न्यायालय कानूनी स्थिति पर कोई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गौर नही किया है। अतः अपीलांटस स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र दफा 212 आरटीए स्वीकार करने का आदेश पारित करें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 का वादग्रस्त भूमि मे 4/5 हिस्सा है जिसका वह खातेदार काश्तकार है। अपीलांट भूमि पर काश्त नही करते है। भूमि आबादी क्षेत्र के समीप होने के कारण आबादी मे सपरिवर्तन हो चुकी है तथा रेस्पो0 अपने हिस्सा की भूमि फैक्ट्री लगी रखी है तथा पक्का निर्माण किया हुआ है जिस समय फैक्ट्री स्थापित की गई उस समय सभी पक्षकार सहमत थे। फैक्ट्री 18 माह पूर्व लगाई गई थी। वर्तमान मे कोई निर्माण नही किया जा रहा है। फैक्ट्री मे कार्य चालू है तथा फैक्ट्री बन्द करने से राज्य सरकार को नुकसान होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है जो सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायाल की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 आरटीए प्रस्तुत कर इसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया कि वादग्रस्त वादीगण प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है जिसमे काश्त की सुविधा के अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादग्रस्त भूमि पर जबरदस्ती पक्के निर्माण कर फैक्ट्री लगाकर काबिज होने की कार्यवाही नही करने एवं विवादित भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखने का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये दिनांक 23.01.2013 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त करते हुए गैरसायल को पाबंद किया गया कि विवादित भूमि रोही मौजा चक राजासर के खसरा नं. 144/301 की 2.5920 है, मे अपने हिस्सा को ताफैसला दावा बैय नही करे। परन्तु अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि मे पक्का निर्माण व फैक्ट्री निर्माण का कार्य ना करने एवं विवादित भूमि की मौके की

यथास्थिति बनाये रखने व रहन बैय न करने का अनुतोष चाहा गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं जवाब रेस्पो0 के अनुसार वादग्रस्त भूमि मे फैक्ट्री का निर्माण पूर्व किया जा चुका था तथा मौका किसी प्रकार का कोई निर्माण नही हो रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि को बैय नही करने हेतु ताफैसला वाद गैरसायलान को पाबंद किया जा चुका है परन्तु मौका की यथास्थिति बनाये रखे के अनुतोष को नही दिये जाने के संबंध मे युक्तियुक्त कारण अंकित नही किया गया है। जबकि विभाजन के दावे मे विभाजन होने तक मौके पर निर्माण आदि नही करने हेतु मौका की यथास्थिति बनाये रखे जाने का स्थगन आदेश दिया जाना उचित है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका की यथास्थिति के संबंध मे स्थगन आदेश पारित नही किया गया है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश मे संशोधन किया जाकर उभय पक्ष को वादग्रस्त भूमि को बैय ना करने के साथ साथ मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.03.2013 मे संशोधन किया जाकर उभय पक्ष को पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि को बैय आदि न करे तथा मौका की यथास्थिति बनाये रखे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official